

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी— श्री ओपीओ बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 32/2015

प्रार्थी

भूराराम गोदारा
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी

गौतमचन्द पुत्र किस्तूरचन्द जाति
जैन निवासी चवा तहसील व जिला
बाड़मेर


परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम, 2006 व नियम 2011


उपस्थित:—1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से
2. श्री दुर्गाराम पूनिया एडवोकेट विप्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 27.6.2016

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 31.03.2015 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दौराने निरीक्षण जरिये सरकारी वाहन मैसर्स किस्तूरमल केवलचन्द चवा जिला बाड़मेर दोपहर 1.00 बजे पहुँचने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम गौतमचन्द पुत्र किस्तूरचन्द जाति जैन निवासी चवा जिला बाड़मेर बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में मैसर्स किस्तूरमल केवलचन्द चवा जिला बाड़मेर का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य खाद्य सामग्री के साथ आयोडिन नमक ब्रान्ड अतुल मिला जो एक-एक किलो के 20 पैकेटो में भरा हुआ था। नमक ब्रान्ड अतुल में मिलावट का सन्देह होने पर उक्त नमक ब्रान्ड अतुल में से एक-एक किलो के कुल 4 पैकेट क्रय किये, जिसका भुगतान मालिक विक्रेता को 46/- रूपये नगद अदा कर रसीद प्राप्त की। प्रत्येक पैकेट पर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहों व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एवं पेपर स्लीप कोड एवं सिरियल नम्बर पी.468 चिपकाकर चिपड़ी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किया, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को कॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए





न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

भरकर गवाहों एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहों के रुबरू की गई तथा चारो नमूनों को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी-468 जाँच हेतु खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियों पर नमूना सील जिसका प्रयोग संपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनों को सीलबन्द करने में किया गया एवं आउटर कवर कर, नमूना विवरण अंकित किया गया एवं एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनों के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि आयोडिन नमक ब्रांड अतुल नमूना पी-468 की जाँच रिपोर्ट एलएस/236/एक्ट/2015/236 दिनांक 10.04.2015 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई का अवलोकन करने पर जाँच में आयोडिन नमक ब्रांड अतुल का नमूना पी-468 निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं होने एवं अवमानक पाया गया। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ आयोडिन नमक ब्रांड अतुल का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करना पाये जाने के कारण प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एवं संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए, नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी 468 जाँच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखे गयेपत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थी ने दिनांक 20.6.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके द्वारा आयोडिन नमक ब्रांड अतुल में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। अप्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर उक्त परिवाद का निरस्त करवाना चाहता है।




 न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
 अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

3. हमने दोनो पक्षों को सुना। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 31.3.2015 को निरीक्षण के दौरान मैसर्स किस्तूरमल केवलचन्द चवा जिला बाड़मेर की दुकान में अन्य खाद्य सामग्री के साथ आयोडिन नमक ब्रांड अतुल आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था। आयोडिन नमक ब्रांड अतुल का नमूना पी 468 जांच में अवमानक स्तर का होना पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाए।
4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस /236/एक्ट/2015/236 दिनांक 10.04.2015 के अनुसार नमूना पी. 468 मिसब्राण्ड का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी गौतमचन्द द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत मिसब्राण्ड पाये गये आयोडिन नमक ब्रांड अतुल बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में मिसब्राण्ड पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 में अप्रार्थी गौतमचन्द पर 8000/- अक्षरे रूपये आठ हजार मात्र शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 27.6.2016 से एक माह के अंदर-अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।



(ओपीओ बिश्नोई)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 27.6.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर